न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (S.D.O.) शिवगंज, जिला–सिरोही

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शकुंतला, R.A.S

राजस्व विविध संख्या 77/2023

प्रार्थीगण		अप्रार्थी
कर्णसिंह पुत्र रामसिंह जी जाति राव निवासी चांदाणा तह0 शिवगंज जिला सिरोही	बनाम	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज व अन्य

विद्वान अधिवक्ता श्री मोहब्बतसिंह देवडा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 111, 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

–:निर्णय:–

दिनांक 22.03.2024

अधिवक्ता मय प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व अप्रार्थीगणों का इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजी मौजा चांदाणा पटवार हल्का केसरपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक शिवगंज, तहसील शिवगंज में स्थित खसरा नम्बर 96/1, 97/2 एवं 153/99 कुल किता 3 कुल रकबा 13–15 बीघा भूमि आई हुई स्थित हैं। उपरोक्त राजस्व आराजी के सह खातेदारान परबतसिंह, हुकमसिंह, व प्रार्थी ने राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 (बी) के तहत दिनांक 14.05.2015 को अप्रार्थी तहसीलदार शिवगंज के समक्ष उपस्थित होकर आपसी बंटवाडनामा पेश किया था, जिस अनुसार प्रार्थी को नेशनल हाइवे के दोनों तरफ कृषि भूमि स्वीकार कर नक्शा प्रस्तावित कर नक्शा प्रस्तावित किया गया था। उपरोक्त कार्यवाही एवं मौके पर पक्षकारों की सहमति से बंटवाड प्रस्ताव भिजवाने पर अप्रार्थी सं0 1 तहसीलदार शिवगंज के पत्र कमांक राजस्व/2015–16 के जरिये उक्त अनुसार रेकर्ड व नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करने के आदेश प्रदान किये गये थे तथा उक्त आदेशानुसार ही नक्शा ट्रेस व राजस्व रेकर्ड/जमाबंदी में इन्द्राज कर दिये गये थे। जिस पर प्रार्थी की राजस्व आराजी के बाद नामांतरकरण खसरा नं0 बदल कर 244/96 व 245/97 दर्ज कर किये गये व प्रार्थी की राजस्व आराजी को नक्शा ट्रेस में भी इसी तरह से दर्ज कर लिया गया है। उक्त इंद्राज को राजस्व कर्मचारी/लिपिक की त्रुटि से ऑनलाईन नक्शा की एंट्री चढ़ाते वक्त राजस्व कर्मचारी ने प्रार्थी के खसरा नम्बर 244/96 की प्रार्थी के हिस्से की राजस्व आराजी 0.0162 हैक्टेयर को राष्ट्रीय राजमार्ग में दर्शा दियां है, जिससे विसंगति पैदा हो गई है। उक्त तथ्य राजस्व कर्मचारी/अधिकारी के ज्ञान में है। राजस्व रेकर्ड/नक्शा ट्रेस में ऑनलाईन विसंगति को सुधार कर पुनः नये सिरे से सही इंद्राज करने का निर्देश दिया जाना आवश्यक है। उपरोक्त राजस्व आराजी के मानचित्र का सही संधारण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। अतः प्रार्थी के खसरा संख्या 244/96 की स्थिति राष्ट्रीय मार्ग से हटाकर पुनः नक्शा ट्रेस में बंटवाड़ के समय किए गए स्थान पर दर्शित कर राजस्व रेकर्ड के ऑनलाईन संधारण में सुधार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार शिवगंज से रिपोर्ट चाही गई जिस पर तहसीलदार शिवगंज ने अवगत कराया है कि ग्राम चांदाणा की जमाबंदी संवत् 2070–2074 में खसरा नं0 153/99 क्षैत्रफल 0.15 बीघा खसरा नं0 96/1 क्षैत्रफल 1.11 बीघा खसरा नं0 97/2 क्षैत्रफल 11.09 बीघा कुल किता 3 क्षैत्रफल 13.15 बीघा परबतसिंह, करणसिंह, हु[illegible]पिसरान रामसिहं साकिन देह के नाम दर्ज था। सह खातेदार के [illegible] सहमति बंटवाड के आदेश कमांक राजस्व/2015–16/197[illegible] स्वीकृत किया गया। आपसी सहमति बंटवाड प्रस्ताव के नामां0 सं0 396 दिनांक [illegible]9.6.2015 द्वारा जम[illegible] अमल दरामद किया गया जिसके अनुसार खसरा नं0 [illegible]4/96 क्षैत्रफल 0.02[illegible] खसरा नं0 245/97 क्षैत्रफल 2.14 बीघा करणसिंह पुत्र रामसिंह जाति राव सा0 देह के नाम दर्ज हो गया। जो कि वर्तमान रिकॉर्ड अनुसार कर्णसिंह पुत्र रामसिंह के नाम दर्ज है। DILRMP के तहत नक्शे बनाने में प्रार्थी का खसरा नं0 244/96 राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य दर्शा दिया गया है जो कि गलत बताया है।

उपखण्ड अधिकारी शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.04.02 10:45:37 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज–2

प्र0सं0 77/2023
करणसिंह बनाम तहसीलदार शिवगंज
अन्तर्गत धारा 111, 131, 136 एलआरएक्ट

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया तो हमने पाया कि दस्तावेजी साक्ष्यों से भी प्रार्थी अधिवक्ता के कथन की पुष्टि होती है अतः वर्तमान तरमीम को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित समझते है।

–::आदेश::–

अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 131, 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार योग्य होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वर्तमान तरमीम को खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार शिवगंज को आदेश दिया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में **मौजा चांदाणा हल्का केसरपुरा तहसील शिवगंज के खसरा नम्बर 244/96, व 245/97 रकबा क्रमशः 0.0162, 0.4371 हैक्टयर भूमि का माफिक कब्जा व नक्शा लटठा अनुसार तरमीम त्रुटि को दुरूस्त किया जावे। स्वीकृत प्रस्तावित नक्शा आदेश का अभिन्न अंग माना जावे।** तहसीलदार शिवगंज को उक्त निर्णय तथा दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां भेजकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार होकर नं0 से कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 22.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(शकुंतला, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

क्रमांक/कोर्ट/2024/ 193
प्रतिलिपि पालनार्थ हेतु :–
तहसीलदार शिवगंज ।

दिनांक 22.03.2024

उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.04.02 10:45:37 IST
Reason: SelfAttested